

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जिलात..... उपरान्त प्रमाणित की..... मुकाम.....

म मुकदमा..... मोहन लाल ठाकुर नाम..... श्री पता वगेश

दावा नं..... 80189, 18820 अथ 51/2020 सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नघर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11/8/20	<p>दावा दर्ज करी गई है। प्रमाणित करने के लिए सागन तलब कर पत्रावली दिनांक 18/9/20 को पेश की।</p> <p><i>[Signature]</i> उपस्थित अधिकारी असाम (भारतपुर)</p>	
18/9/20	<p>प्रमाणित किया हुआ। वादी मोहन लाल ठाकुर उक्त प्रमाणित करने के लिए सागन तलब कर पत्रावली दिनांक 24/9/20 को पेश की।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	जो फर्द जारी
24/9/20	<p>पीठासीन अधिकारी..... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/9/20 को पेश है</p> <p><i>[Signature]</i> रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना</p>	
5/2/21	<p>प्रमाणित किया गया। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पर के आधार पर तारीख प्रेषी के पूर्व प्रमाणित किया गया।</p>	मोहन लाल ठाकुर

प्रमाणित की गई है
पश्चिम बंगाल
5/2/21

तारीख
हुवम

हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

की ओर से - श्री राजाराम पंडे ने
वकाशनामा पेश किया। वकीलों को
सुना। वकीलों ने इसे पेश कर
किसेन किता है कि वकीलों को
अपना इलाका आगे नहीं - वकालत
- माहने है। दावा वकीलों - कमी रख
पर शाहीन 'विप जाते' का विवेक
किता है

किता, वाड - वकीलों को वकीलों को
प्रमाण प्रमाण पत्र के आधार पर
इसी तरह पर शाहीन किता नाम
है वकीलों की पहचान श्री राजाराम
पंडे पंडे द्वारा की गई। पहचान - हुवम
केवल नजर से कर रहे। पालिका
दया है

रामचंद्र अधिकारी
बसान (भरतपुर)

1800